Dollex Agrotech Ltd.

DOLLEX AGROTECH LIMITED
Reg. Office: 205, Naroli Arcade, 19/1, Manorama Ganj, Palasia Square, Indore-452001 (M.P.)
Factory: Village Erai, Tehsil Badoni Khurd, Dist. Datia-475686 (M.P.)
Formerly known as Dollex Agrotech Private Limited

Dated: 04th September, 2025
To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot no. C-1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Symbol: DOLLEX
ISIN: INE0JHH01011

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref:-*Disclosure – Key Highlights on NGT Order & Enforcement for Jaggery Processing Units*

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed key highlights relating to the recent directives issued by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) concerning jaggery processing units and their compliance with environmental norms.

Key Highlights:

- The NGT has issued strict compliance guidelines on environmental norms for jaggery processing units, including minimum chimney heights, designated locations, improved furnace design, and restrictions on fuel types, in line with CPCB directives.
- District-level data collection and enforcement measures have commenced across major production clusters. Specific findings of violations and directives for action have been reported in **Betul, Amla, Chhindwara, Narsinghpur, Kareli, Datia, Gwalior, and Jabalpur.**
- These measures are expected to streamline the industry, benefit compliant large-scale players, and accelerate sector-wide adoption of sustainable technologies.
- The attached newspaper article highlights the ongoing enforcement situation and the urgent push for compliance and data gathering.
- Consequently, operational days of our sugar factory are expected to increase from **90–120 days**, as the availability of raw material will rise .

Kindly refer the NGT Order dated 28.08.2025 – Detailed judgment, findings, and recommendations.

Enclosed.

1. *Dainik Bhaskar* press clipping dated 02.09.2025 highlighting field-level developments.

The above disclosure is being made in the interest of stakeholders and investors to apprise them of developments in the sector which are expected to have a positive impact on compliant players.

DOLLEX AGROTECH LIMITED
Reg. Office: 205, Naroli Arcade, 19/1, Manorama Ganj, Palasia Square, Indore-452001 (M.P.)
Factory: Village Erai, Tehsil Badoni Khurd, Dist. Datia-475686 (M.P.)
Formerly known as Dollex Agrotech Private Limited

This is for your information and records.

Thanks & Regards,

For & Behalf of DollexAgrotech Limited
Siddhi Banthiya
Digitally signed by Siddhi Banthiya
Date: 2025.09.04 15:05:20 +05'30'

Siddhi Banthiya
Company Secretary & Compliance Officer

दैनिक भास्कर
भोपाल 02-09-2025

गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश

कोल्हू भट्टी पर एनजीटी ने दिखाई सख्ती, राज्यभर का डाटा जुटाने के लिए कहा

एक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई

विशेष संवाददाता | भोपाल

गुड़ बनाने वाली कोल्हू भट्टियों से फैल रहे धुएं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (सेंट्रल जोन, भोपाल) ने सख्ती दिखाई है। एक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें महाकोशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज की उस याचिका को भी शामिल किया गया, जिसमें कहा गया था कि इन इकाइयों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने 28 अगस्त को आदेश जारी किए।

एनजीटी ने मप्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश से कोल्हुओं का डाटा जुटाया जाए और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइन लागू की जाए। इसमें कम से कम 10 मीटर ऊंची चिमनी, कृषि अवशेष का ईंधन और कम धुआं फैलाने वाली तकनीक से युक्त ऊर्जा-कुशल भट्टी अनिवार्य की जाए। उल्लंघन पर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन, उद्योग और कृषि विभागों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

सुनवाई में सामने आया कि नरसिंहपुर में 911, जबलपुर क्षेत्र में 300 से ज्यादा और दतिया में करीब 800 इकाइयां चल रही हैं। इनमें से अधिकांश में 3 से 4 मीटर की कच्ची चिमनियां हैं, जबकि न्यूनतम मानक 10 मीटर है। धुएं में पीएम 2.5, पीएम 10 और कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक स्तर पर मिले।

एनजीटी ने कहा, नियम न मानने वालों की बिजली सप्लाई रोकी जाए। साथ ही इकाइयों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए ग्रामीण विकास और नवाचार फंड जैसी योजनाओं से सब्सिडी दी जाए।

कहां कितनी इकाइयां

ग्वालियर 148, जबलपुर 940 और छिंदवाड़ा 207। इन जिलों के साथ दतिया, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, सिवनी, मंडला, बैतूल और आमला क्षेत्र के कमिश्नरों को भी अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन:

- कोल्हू आबादी, स्कूल और अस्पताल से कम से कम 0.5 किमी दूर हों।
- केवल बगास/कृषि अवशेष/लकड़ी ईंधन मान्य।
- 10 मीटर ऊंची चिमनी अनिवार्य।
- मल्टी-पैन या ऊर्जा-कुशल भट्ठी का प्रयोग जरूरी।
- राख व गंदा पानी खेतों में निस्तारित हो, परिसर स्वच्छ रखा जाए।